

२२-०२-१८

वकील अपीलान्ट या स्वयं अपीलान्ट कोई उपस्थित
नहीं है। अपी. को बार बार आवाजें दिलाई
गई। अपीलान्ट की ओर से कोई उपस्थित
नहीं आया। अतः अपील अपीलान्ट अदम
लाजरी व अदम कैरवी में रकारिज की जाती
है। पत्रावली फ़ैसल नुमार लेकर बाद वकील
जाबता हाजिल दफ़तर है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर